न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0न0 61/2022 दिनांक:– 06.06.2022

पीठासीन अधिकारी:– पूजा मीना आर.ए.एस

उनवान

1. राजाराम पुत्र गोपी मीना
2. रघुनाथ प्रसाद पुत्र गोपी मीना
3. सज्जो पत्नि स्व0 दीनदयाल मीना
4. निखिल पुत्र स्व0 दीनदयाल मीना
5. प्रवीण पुत्र स्व0 दीनदयाल मीना

निवासीयान बहादुरपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली।

(प्रार्थी गण)

ब्नाम

1. लक्ष्मीकान्त पुत्र कालूराम मीना
2. ललित पुत्र कालूराम मीना
3. कालूराम पुत्र रामसहाय मीना
4. धनफूल पत्नि कालूराम मीना

समस्त निवासीयान मीना निवासी बहादुरपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली।

5. तहसीलदार टोडाभीम।

(अप्रार्थीगण)

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति:– श्री हंसराम गूर्जर एडवोकेट प्रार्थीगण

श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट अप्रार्थीगण न0 1 ता 4

निर्णय दिनांक 06.05.2025

सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम बहादुरपुर की आराजी ख0न0 1119/0.07, 1120/0.25 की खातेदारी सायलान 3/7 हिस्से का सायलान न0 1 व 2 की बहिन व सायला न0 3 की ननद व सायलान नम्बर 4 व 5 की भुआ हसमी, किशनी, प्रकाशी, इन्द्रावती के नाम दर्ज है। जिन्होने अपने हिस्से की भूमि का रजिस्टर्ड हक त्याग दिनांक 01.06.2022 को सायलान के हक मे करा दिया है इस प्रकार उक्त भूमि के सम्पूर्ण हिस्से के खातेदार व मालिक सायला है। वर्णित आराजीयात सायलान की पैतृक आराजी है जिसको सायलान अपने–अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। जिससे गैरसायलान या अन्य व्यक्ति कोई सरोकार किसी प्रकार का नही है।

बाका दिनांक 02.06.2022 को सायलान न0 1 व 2 वर्णित भूमि पर आगामी फसल के लिए सूल बबूल कर रहे थे कि गैरसायलान हाथो मे लाठी डण्डे लेकर आये और सायलान से कहा कि अब हम इस भूमि प[illegible] नही करने देगे। तथा हम लट्ठ के बल पर उक्त भूमि को तुमसे छीन लेगे तथा हम उक्त भू[illegible]रदस्ती जोतेगे सायलान न0 1 व 2 ने गैरसायलान को काफी समझाया लेकिन वे नही [illegible] यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:30:42 IST
Reason: SelfAttested

सायलान का प्राईमाफेसी केस बखूबी साबित है [illegible] सुविधा का संतुलन [illegible] अपूर्तनीय क्षति का सिद्वान्त भी सायलान के पक्ष मे है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

गैरसायल को कोई क्षति किसी प्रकार की नही है। जबकि अरथायी निषेधाज्ञा जारी नही होने से सायलान को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से संभव नही है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सायलान बखिलाफ गैरसायलान बावत अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायल को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय से पाबन्द किया जावे कि ग्राम बहादुरपुर की आराजी ख0न0 1119/0.07, 1120/0.25 मे सायलान के कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे एवं सायलान को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल न0 5 पैरोकार सरकार तहसीलदार टोडाभीम उपस्थित, गैरसायलान न0 1 ता 4 की और से श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट ने दिनांक 20.06.2024 को उपस्थिति दर्ज कराई, उपस्थिति दर्ज करने के पश्चात गैरसायलान व उनके वकील ने जबाव पेश नही करने की दशा मे दिनांक 03.03.2025 को जबाब बन्द किया गया, चुकि पत्रावली मे पूर्व मे भी दिनांक 18.12.2023 को जबाब बन्द किया जा चुका है।

गैरसायलान द्वारा जबाब पेश नही करने के कारण जबाब बन्द किया जाकर प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। सायलान वकील ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात ग्राम बहादुरपुर की आराजी ख0न0 1119/0.07, 1120/0.25 की खातेदारी सायलान 3/7 हिस्से का सायलान न0 1 व 2 की बहिन व सायला न0 3 की ननद व सायलान नम्बर 4 व 5 की भुआ हसमी, किशनी, प्रकाशी, इन्द्रावती के नाम दर्ज है। जिन्होने अपने हिस्से कीं भूमि का रजिस्टर्ड हक त्याग दिनांक 01.06.2022 को सायलान के हक मे करा दिया है इस प्रकार उक्त भूमि के सम्पूर्ण हिस्से के खातेदार व मालिक सायलान है। वर्णित आराजीयात सायलान की पैतृक आराजी है जिसको सायलान अपने–अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। जिससे गैरसायलान या अन्य व्यक्ति कोई सरोकार किसी प्रकार का नही है। अतः दिनांक 13.06.2022 को जारी अतंरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को ता दावा फैसला कन्फर्म किया जाकर गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय से पाबन्द किया जावे कि ग्राम बहादुरपुर की आराजी ख0न0 1119/0.07, 1120/0.25 मे सायलान के कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे एवं सायलान को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे।

गैरसायलान वकील ने बहस के दौरान कथन किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात मे जमाबन्दी मे दर्ज सहखातेदारान को पक्षकार नही बनाया है तथा आराजी पर सायलान का कब्जा नही है जब सहखातेदारान को पक्षकार नही बनाये जाने की दशा मे अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती, वर्णित आराजीयात पर सायलान का मौके पर कब्जा काश्त नही है। इसलिये सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्षकारान वकील की बहस पर मनन किया पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया। पत्रावली मे शामिल ग्राम बहादुरपुर की जमाबन्दी सम्वत 2073–76 मे सायल 1 व 2 प्रत्येक 1/7–1/7 के सायल न0 3, 4, 5 प्रत्येक 1/21–1/21 के खातेदार काश्तकार तथा इन्द्रावती पुत्री गोपी, किशनी पुत्री [illegible] पुत्री गोपी, हशमी पुत्री गोपी प्रत्येक 1/7–1/7 के खातेदार काश्तकार [illegible] रिक[illegible] है। खातेदार इन्द्रावती पुत्री गोपी, किशनी पुत्री गोपी, प्रकाशी [illegible] ने पत्रावली मे शामिल रजिस्टर्ड हकत्यागपत्र अनुसार अपना हिस्सा सायल न0 [illegible] 4, 5 के हक मे किया गया है, लेकिन गैरसायलान खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड नही [illegible] और नाही गैरसायलान ने जबाब

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:30.42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

पेश नही किये जाने से प्रथम दृष्टया प्रकरण गैरसायलान के हक मे साबित नही होकर सायलान के पक्ष मे साबित है। जब प्रथम दृष्टया प्रकरण सायलान के पक्ष मे साबित है तो सुविधा का संतुलन भी सायलान के पक्ष मे साबित है। सायलान के पक्ष मे अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही होने से सायलान को अपूर्तनीय क्षति होने की पूर्ण संभावना होने से सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 13.06.2022 को ता दावा फैसला कन्फर्म किया जाता है अर्थात गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम बहादुरपुर की आराजी ख0न0 1119/0.07, 1120/0.25 है0 मे सायलान के कब्जे काश्त मे महाहमत मदाखलत पैदा नही करे,

निर्णय आज दिनांक 06.06.2025 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:30:42 IST
Reason: SelfAttested